न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/349

भूरा लाल आत्मज श्री रामा आयु 66 साल जाति चारण निवासी ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. नारायण पुत्र देवराज जाति चारण ।
2. चम्पी बाई पुत्री स्व0 देवराज जाति चारण ।
3. नन्दू बाई पुत्री स्व0 देवराज जाति चारण ।
4. दल्ली बाई पुत्री स्व0 देवराज जाति चारण ।
5. नन्दलाल पुत्र नैना जाति चारण निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्रमोहन शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, रेस्पोडेन्ट कम 4 व 5 की ओर से ।

दिनांक: 18.03.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 352 की 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 423 की 1.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 424 की 0.01 हैक्टर गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.21 हैक्टर कुल 04 किता की 2.04 हैक्टर आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर उक्त आराजी पर बहैसियत वसीयती उत्तराधिकारी एवं वारिस के रूप में वादी ने उक्त आराजी पर स्वयं का कब्जा बताते हुए हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की मांग करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी जो प्रतिवादी कम 1 से 4 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में गलत तौर पर नाम दर्ज होने के आधार पर बेचान की गई है उसे प्रभावशून्य घोषित कर निरस्त फरमया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2018 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.05.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकतरफा एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत में पारित किया है जो न्याय के प्राकृति सिद्धान्तों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत को रजिस्टर्ड न होने से मान्यता नहीं दी है जबकि वसीयत को विधि अनुसार रजिस्टर्ड करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है केवल मात्र वसीयत के दो गवाहों के बयानों से वसीयत प्रमाणित होना आवश्यक है जो वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गवाहों से वसीयत प्रमाणित कर दी थी । लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश नहीं किया है और न ही पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार की कोई सहमति बनी थी । सीपीसी की पालना किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकतरफा एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत में पारित किया है जो न्याय के प्राकृति सिद्धान्तों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत को रजिस्टर्ड न होने से मान्यता नहीं दी है जबकि वसीयत को विधि अनुसार रजिस्टर्ड करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है केवल मात्र वसीयत के दो गवाहों के बयानों से वसीयत प्रमाणित होना आवश्यक है जो वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गवाहों से वसीयत प्रमाणित कर दी थी । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 1ए सीपीसी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश नहीं किया है और न ही पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार की कोई सहमति बनी थी । सीपीसी की पालना किये बिना ही निर्णय पारित किया है । इंतकाल की अपील खारिज होने से दावे के गुणावगुण पर कोई असर नहीं पडता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है । फौती इंतकाल सही खोला गया है । अपीलान्ट ने सन् 2002 से 2008 तक कोई कार्यवाही नहीं की है । वादग्रस्त आराजी में 2/3 रेस्पोडेन्ट ने क्रय की है । रेस्पोडेन्ट ने पक्ष में इंतकाल दस्तीक हो चुका है । वसीयत को संदिग्ध माना है । वादग्रस्त आराजी में 2/3 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है । विक्रय पत्र को चैलेंज नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री

पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 1ए सीपीसी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.05.2018 के अनुसार लोक अदालत में पक्षकारान के उपस्थित होने पर नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नोटिस सम्मन की प्रति भी संलग्न नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है । पक्षकारान के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार का कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया है । सीपीसी की पालना किये बिना ही गुणागवुण के आधार पर निर्णय पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 1ए सीपीसी में लम्बित थी ।

9. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान की साक्ष्य पूर्ण कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयात में से प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 06 के अन्दर सीपीसी की पालना करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.05.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 18.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा